कार्यालय
वनमण्डलाधिकारी उत्तर (सामान्य) वनमण्डल, बालाघाट म.प्र.

e-mail : dfotnbghat@mp.gov.in Telephone No. : (07632) 247044

क्रमांक / तक.कक्ष / 4468 बालाघाट, दिनांक 18 / 12 / 2024

प्रति,

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1,
बालाघाट (म.प्र.)

विषय :— बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अन्तर्गत डावरी–कलकत्ता व्हाया लातरीटोला से माहुरदल्ली बोदालझोला तक मार्ग निर्माण हेतु दक्षिण बालाघाट वनमंड़ल की 11.760 हेक्टेयर एवं उत्तर वनमंडल बालाघाट की 3.960 हेक्टेयर कुल 15.720 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने बावत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/156088/2022)

संदर्भ :— 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक / 6-MPR 021/2023-BHO/I/71687/2024 दिनांक 09.05.2024
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) वन भवन, मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ–5 / 1260 / 2023 / 10–11 / 2675 भोपाल, दिनांक 21.05.2024।

——00——

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जो आपकी ओर भी पृष्ठांकित है। उक्त विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 02 में चाहे अनुसार रोड़ के किनारे–किनारे रोपण हेतु योजना तैयार की जाकर वन संरक्षक बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट के आदेश क्रमांक / व्यय आं. / 175 बालाघाट दिनांक 29.11.2024 से प्राप्त अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति उपरान्त रोपण योजना में आंकलित कुल लागत राशि 63,88,408 / – (त्रेसठ लाख, अठ्ठासी हजार चार सौ आठ रूपये) ई पोर्टल के माध्यम से शासन के कैम्पा (CAMPA) मद में जमा करते हुये, जमा की गई राशि का बैंक द्वारा जारी UTR No. की हस्ताक्षरित प्रति सहित पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में चाही गई जानकारी का प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय को भेजते हुये औपचारिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया जा सकें।

कृपया इसे विशेष प्राथमिकता प्रदान करें।

(नेहा श्रीवास्तव)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
उत्तर वनमण्डल (सा.) बालाघाट

पृष्ठां. क्रमांक / तक.कक्ष / 4469 बालाघाट, दिनांक 18 / 12 / 2024

प्रतिलिपि :—
1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) वन भवन, तुलसी नगर, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. वनसंरक्षक, बालाघाट वनवृत्त, बालाघाट की ओर सम्प्रेषित।
3. वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण बालाघाट (सा.) वनमण्डल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. उपवनमण्डलाधिकारी, उकवा (सा.) उपवनमण्डल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. शाखा प्रभारी, व्यय आं. उत्तर (सा.) वनमण्डल बालाघाट की ओर प्रॉक्कलन की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
उत्तर वनमण्डल (सा.) बालाघाट

D:\Sharad\Letter\Genral Letter.docx 394

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक वनवृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश – 481001

Email- cfbalaghat@mpforest.org, cfbghat@mp.gov.in दूरभाष : 07632–241201 फैक्स : 07632–24021

–::आदेश ::–

आदेश क्रमांक/व्यय.आ./175

बालाघाट, दिनांक 29/11/24

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ/1194/191/2022/9 नियम/चार दिनांक 14.07.2022 (बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर्स वाल्यूम–2) द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक–2 एम.पी.आर.021/2023 बी.एच.ओ.–I/71687/2024 दिनांक 09.05.2024 में उल्लेखित शर्तो के अनुसार बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत डाबरी–कलकत्ता व्हाया लातरीटोली तक मार्ग निर्माण हेतु दक्षिण बालाघाट वनमण्डल की 11.76 हेक्टेयर एवं उत्तर सामान्य वनमण्डल बालाघाट की 3.96 हेक्टेयर कुल 15.72 हेक्टेयर वन भूमि (ऑनलाईन आवेदित 18.488 हेक्टेयर) ग्राम सड़क विकास प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत् ऑन लाईन प्रकरण कमांक FP/MP/Road/156088/2022) के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमण्डल बालाघाट से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार 0.84 हेक्टेयर असिंचित सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य की वर्ष 2026–27 से (ग्यारह वर्षिय) तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

कार्य का विवरण

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	कार्य नाम	स्थल	रकबा	प्राक्कलन कुल राशि
1	दक्षिण उकवा सामान्य	प्रधान मंत्री सड़क योजना अन्तर्गत सड़क के किनारे वृक्षारोपण	माहुरदल्ली से दहियानटोला मार्ग के दोनो ओर तक	0.84	6388408

1 कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावें।
2 स्वीकृत प्रोजेक्ट रिर्पोट राशि का व्यय स्वीकृत नार्मर्स , जाबदर एवं उपलब्ध बजट आवंटन तक सीमित रहेगा। उपरोक्त कार्य के संपादन के पूर्व कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों का भलीभांति अवलोकन किया जाये, किसी भी परिस्थिति में कार्य आयोजना से विचलन होने पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बगैर कार्य का संपादन न कराया जाये।
3 उपरोक्त कार्य **CAF Rules** 2018 के नियमों का पालन करते हुये किया जाना सुनिश्चित करें।
4 कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाये।
5 वृक्षारोपण पंजी, माप पुस्तिका (M.B.) आदि अभिलेख विधिवत संधारित किये जाये।
6 कैम्पा विंग के समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

स्वीकृत पंजी पृष्ठ क्रमांक .... अ.क्र. .... इन्द्राज किया गया।

(ए.पी.एस.सेंगर)
भा.व.से.
वनसंरक्षक
वनवृत्त बालाघाट म.प्र.

OFFICE OF THE D.F.O. No. 2477 02/12 DN. BALAGHAT

पृष्ठा. क्रमांक/5143

बालाघाट, दिनांक 29-11-2024

प्रतिलिपि :– वनमंडलाधिकारी उत्तर सामान्य वनमंडल बालाघाट की ओर उनके पत्र क्रमांक/व्यय.आ. /2293 दिनांक 11.11.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनसंरक्षक